भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2620

जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के माध्यम से वसूले गए ऋण

2620. श्री संदोष कुमार पी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम के माध्यम से अशोध्य ऋणों या अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों द्वारा लिए गए ऋणों पर रोक लगाने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरफेसी अधिनियम के माध्यम से अशोध्य ऋणों या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली का राज्यवार ब्यौरा आरबीआई द्वारा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई द्वारा प्रस्तुत अनंतिम आँकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 2,15,709 मामलों में कार्रवाई शुरू करके 32,466 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

(ख) से (घ): किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाजार की स्थितियों में व्यवधानों से उत्पन्न ऋण सेवा के भार को कम करने के लिए, आरबीआई द्वारा 17 अक्टूबर, 2018 के मास्टर निर्देश एफआईडीडी सीओ.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 एवं मास्टर निर्देश एफआईडीडी सीओ.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.10.001/2018-19 के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट लाए बिना ऋणों के पुनर्गठन और नए ऋणों की मंजूरी के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों का प्रावधान करते हैं। राहत उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि आपदा से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए जा रहे अतिरिक्त दबाव का राज्य प्राधिकरणों और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी)/जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) जैसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से प्रभावी और त्वरित तरीके से समाधान किया जाए। राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उन उधारकर्ताओं को ऋण स्थगन प्रदान करने का उपबंध है जो एसएलबीसी/डीसीसी द्वारा निर्धारित निर्देशों के अंतर्गत राहत उपायों का लाभ उठा रहे हैं।
